



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 ज्येष्ठ, 1943 (श०)

संख्या- 311 राँची, सोमवार,

21 जून, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

27 मई, 2021

संख्या-5/आरोप-1-53/2020-5783 (HRMS)-- श्री प्रभाष चन्द्र दास, झा0प्र0से0 (तृतीय 'सीमित' बैच), तत्कालीन प्र0वि0पदा0, नावाडीह, बोकारो, सम्प्रति-निलंबित को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक 13.11.2020 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं0-12093(hrms), दिनांक 02.12.2020 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 13.11.2020 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया है।

2. श्री दास द्वारा न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के बाद दिनांक 15.03.2021 को विभाग में योगदान समर्पित किया गया है।

3. अतः झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(3)(i) के तहत श्री दास द्वारा योगदान दिये जाने की तिथि दिनांक-15.03.2021 के प्रभाव से इनका योगदान स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त नियमावली के नियम-9(1)(क) एवं (ग) के तहत योगदान की तिथि 15.03.2021 के प्रभाव से अगले आदेश तक पुनः निलंबित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में श्री दास का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया जाता है, जहाँ ये अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा उपस्थिति के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	PRABHAS CHANDRA DAS (JHK/JAS/301)	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(3)(i) के तहत श्री दास द्वारा योगदान दिये जाने की तिथि दिनांक-15.03.2021 के प्रभाव से इनका योगदान स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त नियमावली के नियम-9(1)(क) एवं (ग) के तहत योगदान की तिथि 15.03.2021 के प्रभाव से अगले आदेश तक पुनः निलंबित किया जाता है।	15/03/2021

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282
